न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 65 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भाणा पिता हीरा जी डांगी, नि0 अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. दल्ला पिता हीरा जी डांगी, नि0 अमरपुरा, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी,सराडा दिनांक 25—01—2016,प्रकरण संख्या 4 / 2016

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1—श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट

2—श्री आलोक कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णयदिनांक11—07—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगणएक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा अमरपुरा तहसील सराड़ा में साबिक आराजी नंबर 222 रकबा 6 बिस्वा स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 378 रकबा 0.0600 हैक्टर है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी की होकर हिस्सेनुसार वादीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज है व साबिक नंबरों में भी वादीगण के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान में भी दर्ज है। साबिक आराजी नंबर 222 के पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर उपर की और उत्तर दिशा में तिकोने रूप में भू—भाग था जो आराजी नंबर 222 की हद तक साबिक नक्शे में बता रखा है, उसके बाद आम रास्ता है, जैसाकि साबिक नक्शे से स्पष्ट है। उक्त तिकोना भाग के पास के उत्तर से दक्षिण जो रास्ता जा रहा है उसे पहले के मुकाबले चौड़ा किया गया है, जिससे उक्त तिकोना भाग जो आराजी नंबर 222 की हद तक पूर्व से पश्चिम, उत्तर की ओर से उपर तरफ रास्ते में समायोजित हो गया जैसाकि हाल नक्शे में दर्शा रहा है तथा उक्त तिकोने वाली भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित पूर्व से पश्चिम वाली भूमि वादीगण की साबिक आराजी नंबर 222 की भूमि है [illegible] हाल नंबर 378 है। सेटलमेन्ट के पश्चात् सेटलमेन्ट वालों को मौके अनुसार [illegible] बनाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का नक्शा मौके अनुसार नहीं बनाकर साबिक आराजी नंबर 222 के नये नंबर 378 को नक्शे में कम कर दिया तथा साबिक नक्शे में साबिक आराजी नंबर 222 के उत्तर की ओर उपर की ओर जो तिकोना बना हुआ था उसे हाल आराजी नंबर 378 में बता दिया, जबकि भूमि का तब तथाकथित तिकोना भाग रास्ता चौड़ा होने से उसमें समायोजित हो गया व साबिक आराजी नंबर 222 की भूमि जिसके हाल नंबर 378 बने है समचोरस के रूप में साबिक के मुकाबले हाल में होना चाहिए, को नहीं बनाकर तिकोने कोने को 378 में बता दिया है, जो साबिक व हाल नक्शे से स्पष्ट है। इस प्रकार का परिवर्तन करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अतः विवादित हाल आराजी नंबर 378 जिसके साबिक आराजी नंबर 222 थे को नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय नेवादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–01–2016 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–08–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण ओर से वकील श्री आलोक कुमार जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया किअधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में काफी जद्दोजहद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली एवं पालना किये जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो गयी। इसी प्रक्रिया में इतना लम्बा समय हो गया। अतः देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील में गुणावगुण पर सुनवाई का आदेश प्रदान किया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार थे। ऐसी स्थिति में अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ (8) 2001 Page 258, RBJ (17) 2010 Page 289, RBJ (1) 2021 Page 336 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हालांकि प्रकरण में 5 वर्ष का विलम्ब हुआ है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी के कारणों को स्पष्ट किया गया है। कारण भी यह है कि अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना संभव नहीं हो पा रही है तो फिर अपील का रास्ता ही बचता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री जारी की है, जिससे अपीलान्ट अपना पक्ष रखने से महरूम रह गये। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि रेस्पोन्डेन्ट का साबिक आराजी नंबर 222 का रकबा 6 बिस्वा था एवं हाल आराजी नंबर 378 रकबा 0.06 बना है। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट के खाते में रकबे की कमी नहीं हुई है, जिसे स्वयं रेस्पोन्डेन्ट ने अपने वाद में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट किस प्रकार से उक्त इन्द्राज दुरस्ती कराना चाहते हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख वाद में नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से खसरा नंबर 378 की एक तरफ की सीमा रेखा आगे बढ़ाने से आस–पास के दूसरों खसरा नंबरों का भाग शामिल होता है, जिससे आराजी नंबर 378 का क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे पड़ोस के खसरा नंबरों में कमी आयेगी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कमी/बेसी बाबत् स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी खातेदार का रकबा कम नहीं होगया है। रोड़ निकलने से रोड़ में भूमि चली गयी है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उक्त उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–01–2016 को निर्णय पारित किया गया जिसकी पालना संभव नहीं बताई गई। पालना करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की गयी है। नक्शे में बदलाव से आस–पास के काश्तकार भी प्रभावित होंगे, उन्हें सुनना आवश्यक है। जिला कलेक्टर द्वारा भी दिनांक 15–08–2021 को उक्त प्रकरण में अपील में निर्देश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना हम विधि सम्मत समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2016 अपास्त की [illegible] तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाती है कि सेटलमेन्ट [illegible] राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested

मौके का निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा मंगवाया जाकर समस्त पक्षों को सुनवाई कर उचित निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:32 IST
Reason: SelfAttested